विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. – SPMU/01/2025 **स्मार सूचना** **Date : 29 April, 2025**

विभाग द्वारा प्रकाशित सूचना **Advt.No-spmu/03/2024** दिनांक–18.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य अविस्थत निजी संस्थानों के लिए जो मानक निर्धारण की गई थी, उसकी कंडिका–1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि '' **MNSSBY** पोर्टल के समानांतर संस्थानों के लिए एक अन्य पोर्टल विकसित किए जा रहे है। वैसे सभी संस्थान जिनके द्वारा अब तक **NAAC** के लिए आवेदन नहीं किए गए है। वैसे सभी संस्थान उस पोर्टल पर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए विहित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करवायेगें। यह जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना उनके लिए अनिवार्य होगा।''

इस प्रकाशित सूचना के आधार पर विभाग द्वारा बिहार राज्य अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए एक नूतन पोर्टल यथा– **https://bsccbihar-iiqa.bihar.gov.in** बनाई गई है। उक्त पोर्टल पर बिहार राज्य अवस्थित संस्थानों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित कार्य किया जाना है:–

i) **MNSSBY** पोर्टल पर पूर्व से अंकित संस्थानों के साथ साथ नए संस्थान/महाविद्यालयों को विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए नूतन पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

ii) नूतन संबंद्धता प्राप्त संस्थानों को **MNSSBY** पोर्टल पर इस योजना से जोड़ने से पूर्व इस पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

iii) सभी संस्थान का अपना **Website** होना अनिवार्य है जिसमें संस्थान के संबंद्धता, **Faculty, Placement, Course wise fee(without hidden fees), Syllabus, Examination Curriculum, Student details, Student's feedback** इत्यादि की विवरणी होना अनिवार्य है।

iv) नूतन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संस्थानों को **AISHE Code** के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

v) पूर्व से **MNSSBY** पोर्टल पर अंकित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सत्र–2025–26 से योजना का लाभ तब तक नहीं प्राप्त हो पायेगा जब तक कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सूचना की समीक्षोपरांत विभागीय आदेश प्राप्त ना हो जाए।

vi) **NAAC** के न्यूनतम ग्रेड–**C** अथवा **NIRF** के वार्षिक रैकिंग में संस्थान के नाम अथवा **NBA** द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों से संबंद्धता प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है परन्तु उक्त संस्थानों के लिए इस विज्ञापन में वर्णित कंडिका–3 के बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है।

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCC

अपर सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Email Id- spmubscc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059